

बाग की नीलामी की शर्तें एवं प्रतिबंधः—

- यह ठेका दिनाँक 22.04.2024 से दिनाँक 31.08.2024 तक वैध होगा।
- ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बाग का भली भौति निरीक्षण कर लें। बाग की बिक्री के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनाँक 22.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में ₹ 20,000.00 नकद जमा करने के बाद नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धनराशि ₹ 20,000.00 को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई राशि को नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दी जायेगी।
- सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम के रूप में बोली समाप्ति के तुरन्त पश्चात जमा करना होगा। इस राशि में पहले जमा की गई राशि ₹ 20,000.00 समायोजित नहीं की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता उक्त 25 प्रतिशत राशि को जमा कर देने में असमर्थ/असफल रहता है तो उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ₹ 20,000.00 जब्त कर ली जायेगी।
- नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकृत कर दे।
- कुलपति महोदय द्वारा बोली स्वीकृत हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा की गई राशि ₹ 20,000.00 समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा एक सप्ताह तक उच्चतम बोली का 15 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के साथ कब्जा ले सकता है उसके पश्चात ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने से पूर्व ठेके की 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धनराशि के रूप में विश्वविद्यालय कोष में अलग से जमा करनी होगी। सुरक्षा धनराशि ठेके के अन्त तक विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार द्वारा सुरक्षा धनराशि वापस प्राप्त करने का आवेदन करने पर प्रभारी अधिकारी, उद्यान अनुभाग की संस्तुति पर नियन्त्रक द्वारा नियमानुसार सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी। सुरक्षा धनराशि विश्वविद्यालय के कोष में जमा करने की अवधि का कोई व्याज विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। यदि ठेकेदार निश्चित तिथि तक उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा पहले जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण कुलपति जी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बतौर Sole Arbitrator किया जायेगा तथा जिनका निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को सर्वथा मान्य होगा।
- फलों को बाग केन्द्र से बाहर ले जाने के लिये ठेकेदार को इस अनुभाग से गेटपास प्राप्त करना होगा।
- ठेकेदार को अपना परिचय प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विभागाध्यक्ष अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व अनुभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- बाग की सफाई, फलों की रक्षा एवं फलों को लाने ले जाने की समस्त जिम्मेदारी बाग के ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार द्वारा स्वयं या उसके आदमियों के द्वारा वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो उद्यान अनुभाग द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन ठेकेदार को मान्य होगा तथा क्षति की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
- ठेकेदार द्वारा या उसके आदमियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की मादक वस्तुओं का उपयोग या व्यापार नहीं किया जायेगा।
- ठेकेदार द्वारा तराई भवन प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- ठेकेदार द्वारा उक्त बाग में फलों कि रखवाली करते समय तराई भवन परिसर में किसी भी प्रकार की सर्च लाइट, पटाखे, तीव्र ध्वनि एवं अधिक गंधयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

16. ठेकेदार द्वारा प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग/सुरक्षा अधिकारी, पन्तनगर से स्वयं का तथा बाग पर लगाये गये अपने कर्मियों का परिचय पत्र बनवाना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा बाग का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
18. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ ₹० एक सौ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने के दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
19. नीलामी की गई फलदार फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को अनुभाग की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार, उद्यान अनुभाग अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ती की जायेगी।
20. ठेकेदार को बाग की सफाई, सिंचाई फसल की सुरक्षा, रोग एवं कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई/ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेके की अवधि में बागों में रासायनों/कीटनाशकों के छिड़काव करने से पूर्व ठेकेदार को केन्द्र से कीट विशेषज्ञ अथवा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
21. बाग की सिंचाई में होने वाले विद्युत व्यय का विद्युत शुल्क ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
22. ठेकेदार को उक्त सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

Officer Incharge
प्रभारी अधिकारी, GBPVA&T
Garden Section, GBPVA&T
उद्यान अनुभाग, Nager-263145
Panmagar

Y. H. Mohan
३१/८/२५